AADHAAR

HINDUSTAN, Lucknow, 14.11.2019

Page No. 12, Size:(6.07)cms X (10.52)cms.

# आधार में पता दूसरा होने पर भी खाता खुल सकेगा

**नई दिल्ली | एजेंसी**

सरकार ने बैंक में खाता खोलने में आने आ रही परेशानियों को देखते हुए एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि आधार में पता अलग होने पर भी एक स्वघोषणा पत्र देकर लोग खाता खुलवा सकते हैं।

अधिसूचना के मुताबिक अब जो लोग अपना केवाईसी के लिए आधार नंबर दे रहे हैं और पता कोई और देना चाहते हैं, जो आधार कार्ड पर लिखे पते से अलग है तो एक स्व घोषणा पत्र देकर अपना दूसरा पता दे सकेंगे। इस फैसले से मूल निवास से दूर रहने वाले या दूसरी जगह काम करने वाले कामगारों को फायदा होगा। बुधवार को जारी राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, मनी लौड्रिंग रोकथाम अधिनियम में संशोधन कर ये बदलाव किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि ऐसे कामगार जहां रहते हैं उन्हें बैंक खाता खोलने में दिक्कत होती थी क्योंकि आधार पर पता उनके घर का होता था और काम किसी दूसरे शहर में करते थे। सरकार ने प्रवासियों को बैंक खाता खुलवाने में सहुलियत देने तथा वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है।